मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च, 2022 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 10 मार्च, 2022 (फाल्गुन 19, 1943)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

डॉ.नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार-

(क) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 15 सन् 2021), एवं

(ख) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2022 (क्रमांक 1 सन् 2022)

पटल पर रखेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री,** दि स्टेट फायनेंशियल कार्पोरेशंस एक्ट, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 66 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(2) **श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री,** दि रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डेव्हलपमेंट) एक्ट, 2016 की धारा 86 की उपधारा (2) के अधीन मध्यप्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण की अधिसूचना क्रमांक-एमपीरेरा-कार्य संचालन-विनियमन 2021-1, दिनांक 15 सितम्बर, 2021 पटल पर रखेंगे.

(3) **श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री -**

(क) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2019-2020 (संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.ग्वालियर द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां), तथा

(ख) जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2018-2019 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां)

पटल पर रखेंगे.

(4) **श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री -**

(क) मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला अनूपपुर एवं जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 तथा जिला उमरिया, सागर एवं छिन्दवाड़ा के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021, तथा

(ख) मध्यप्रदेश बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियम, 1993 की धारा 19 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक-1036-183-2018-ए-सोलह, दिनांक 02 अगस्त, 2021

पटल पर रखेंगे.

(5) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का चतुर्दश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(6) **श्री प्रेमसिंह पटेल, पशुपालन मंत्री -**

(क) मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020, तथा

(ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, नि:शक्तजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021

पटल पर रखेंगे.

(7) **डॉ.मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री -**

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार –

(i) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) का 49 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021,

(ii) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 (1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक), एवं

(iii) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) का 53 वां प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021, तथा

(ख) चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 9 सन् 1991) की धारा 36 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, सतना (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021,

पटल पर रखेंगे.

(8) **श्री हरदीप सिंह डंग, पर्यावरण मंत्री,** जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (7) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(9) **श्री इंदर सिंह परमार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन,** मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016, चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017 एवं पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018 पटल पर रखेंगे.

4. दिसम्बर, 2019 सत्र से दिसम्बर, 2021 सत्र तक के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-9 पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2021 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **श्री संजय यादव,** सदस्य, नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा जबलपुर की बड़ादेव सूक्ष्म उदवहन सिंचाई परियोजना को लंबित रखे जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा,** सदस्य, मुरैना जिले में पशुओं की मौत पर पशुपालकों को सहायता राशि न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री को विधान सभा के मार्च, 2022 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) **श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति,** याचिका समिति के याचिकाओं से संबंधित अष्टम्, नवम्, दशम्, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां एवं चौदहवां तथा अभ्यावेदनों से संबंधित सत्रहवां, अठारहवां एवं उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) नियम समिति के द्वितीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति.

10. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) **श्री उमाकांत शर्मा,** सदस्य, विदिशा जिले के सिरोंज विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भौरिया के हाई स्कूल का भवन निर्माण कराये जाने,

(2) **श्री हर्ष यादव,** सदस्य, सागर जिले के महाराजपुर-सहजपुर मुख्य मार्ग से तेन्दूखेड़ा तक पहुंच मार्ग के निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(3) **श्री देवेन्द्र सिंह पटेल,** सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम पंचायत भारकच्छकला के देशवाड़ी मोहल्ला से मदागन घाट शांतिधाम तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(4) **श्री संजय यादव,** सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम नयागांव से परासिया एवं दियाखेड़ा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(5) **कुं. रविन्द्र सिंह तोमर 'भिड़ौसा',** सदस्य, मुरैना जिले के दिमनी विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु की गई घोषणाओं की पूर्ति किये जाने,

(6) **श्री रामपाल सिंह,** सदस्य, रायसेन जिले के बेगमगंज अंतर्गत चरगवां तालाब से सिंचाई योजना संबंधी निविदा आमंत्रित किये जाने,

(7) **श्री सुरेश राजे,** सदस्य, ग्वालियर जिले के डबरा अंतर्गत ग्राम जरावनी से सिमिरिया की पुलिया तक डामरीकृत सड़क निर्माण कराये जाने,

(8) **श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी,** सदस्य, दमोह जिले के ग्राम लखनी में धुनगी नाला पर पुल निर्माण कराये जाने,

(9) **श्री जयसिंह मरावी,** सदस्य, आगर-मालवा जिले के ग्राम खेलगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कराये जाने,

(10) **सुश्री हिना लिखीराम कावरे,** सदस्य, आगर-मालवा जिले के ग्राम नलखेड़ा पिलवास एवं गुदरावन तिराहे पर (झोपड़ियां/गुमठियां) किये गये अवैध अतिक्रमण हटाये जाने,

(11) **श्री प्रहलाद लोधी,** सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम व्यारमा हरदुआ के नदी पर घाट निर्माण कराये जाने,

(12) **श्री निलय विनोद डागा,** सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम धामोरी से घोड़ंगा तक मार्ग व नदी पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(13) **डॉ. सतीश सिकरवार,** सदस्य, ग्वालियर जिले के रामनगर-1 मुरार में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र पर पानी/लाईट की व्यवस्था कराये जाने,

(14) **डॉ. गोविन्द सिंह,** सदस्य, भिण्ड जिले की लहार नगर पालिका में रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने,

(15) **श्री बहादुर सिंह चौहान,** सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम सगवाली में गौशाला की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(16) **श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल,** सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम कोस्ते से सिकन्दरा के बीच नाले पर पुल निर्माण कराये जाने,

(17) **श्री पी.सी. शर्मा,** सदस्य, भोपाल शहर के वार्ड क्र. 26 स्थित गोरागांव से बिल्लाबोंग विद्यालय तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(18) **श्री जालम सिंह पटेल,** सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम रमपुरा से केरपानी तक कंक्रीट सड़क निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

11. सभापति तालिका की घोषणा.

12. वर्ष 2021-2022 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, वर्ष 2021-2022 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

13. राज्यपाल के अभिभाषण पर डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य द्वारा दिनांक 7 मार्च, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा.

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.".

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 09 मार्च, 2022